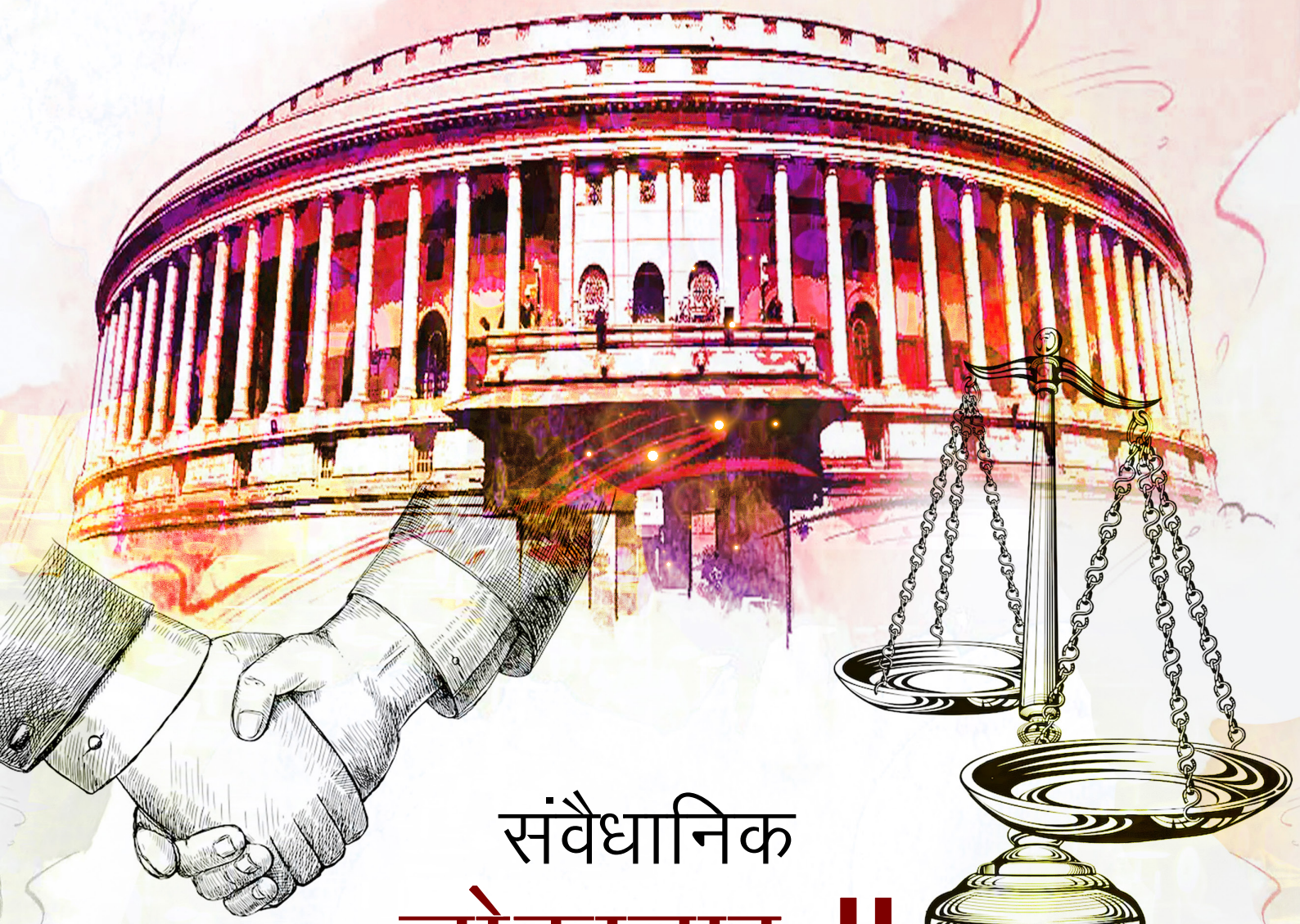

संवैधानिक लोकाचार II

विविधता में एकता – पंथनिरपेक्षता

परिचय

"विविधता में एकता को प्राप्त करने की हमारी क्षमता, हमारी सभ्यता की विशिष्टता होने के साथ–साथ उसकी परीक्षा भी होगी।"
–महात्मा गांधी

भारत की **नृजातीय, भाषाई** और **धार्मिक विविधता** को भारत की आत्मा कहा जाता है। यह भारतीय सभ्यता की **सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं** में से एक है। यह हमारी समग्र संस्कृति की **वृहद् क्षमता** को दर्शाती है। भारत के लिए आस्था के विषय के रूप में, भारत के संविधान का उद्देश्य **पंथनिरपेक्षता** के माध्यम से इस **एकता (न कि एकरूपता)** को संरक्षित करना है।

इस डॉक्यूमेंट में, हम **पंथनिरपेक्षता** पर एक **बुनियादी सैद्धांतिक विचार** को केंद्र में रखते हुए, पंथनिरपेक्षता के **संवैधानिक लोकाचार** पर चर्चा करेंगे। इसके बाद, **भारतीय पंथनिरपेक्षता** और संबंधित **संवैधानिक प्रावधानों** पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।
प्रावधानों के आधार पर, **पंथनिरपेक्षता के महत्व** के साथ–साथ इसके अंतर्निहित **उद्देश्यों** को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही, इसके **कार्यान्वयन से जुड़े उपायों और परिणामों** के आधार पर, भारतीय पंथनिरपेक्षता से जुड़ी चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद **विविधता में एकता को बनाए रखने और बढ़ावा देने** की दिशा में आगे की राह को समझने का प्रयास करेंगे।

धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत: अर्थ और उद्भव

'सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष)' शब्द लैटिन शब्द **'सैकुलम (saeculum)'** से लिया गया है जिसका अर्थ है **सदी या युग। सैकुलम** शब्द सांसारिक (गैर–धार्मिक) काल को दर्शाता है। गौरतलब है कि **धर्मनिरपेक्षता (Secularism) का एक मानक या राजनीतिक सिद्धांत के रूप में पहली** बार यूरोप में प्रयोग किया गया था **(इन्फोग्राफिक देखें)।**

धर्मनिरपेक्षता का विचार वस्तुतः **धर्मनिरपेक्ष समाज** की स्थापना पर जोर देता है। यह एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल देता है जो किसी एक या एक से अधिक धर्मों के वर्चस्व से रहित हो तथा जहां धर्म को एक **व्यक्तिगत मामला** माना जाता हो। हालांकि, ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांतों के अनुपालन पर जोर दिया जाता है **(इन्फोग्राफिक देखें)।**

यह लोगों के जीवन में **धार्मिक संस्थाओं और प्रतीकों (गैर–आध्यात्मिक) के प्रभाव को कम करता है।** इसलिए, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है जो बिना ओवरलैपिंग के **राज्य सत्ता और धर्म के विशिष्ट, स्वतंत्र, अनन्य और अलग–अलग क्षेत्रों** को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए:

- **धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा,** और
- **राज्य के मामलों में धर्म कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।**

धर्मनिरपेक्षता का उदय

चरण–1

तीस वर्षीय युद्ध

1618 से 1648 के बीच विभिन्न राष्ट्रों द्वारा **धार्मिक, राजवंशीय, क्षेत्रीय और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता** सहित अलग–अलग कारणों से अनेक युद्ध (युद्धों की एक पूरी श्रृंखला) लड़े गए थे।

चरण–2

विभाजन

इन युद्धों ने पवित्र **रोमन साम्राज्य को कमजोर** कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप **राजनीतिक प्राधिकार से धार्मिक** प्राधिकार अलग हो गए।

चरण–3

धर्म–निरपेक्षीकरण

पश्चिमी देशों में सरकारी पद/सरकारी कार्यालय **धर्म–निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से गुजरे** यानी सार्वजनिक जीवन में नीतियां बनाने और कार्य करने में धर्म के उपयोग को सीमित कर दिया गया।

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत

भारत में पंथनिरपेक्षता (धर्मनिरपेक्षता)

- **भारत में प्राचीन काल से धर्मनिरपेक्षता मौजूद रही है:** परंपरागत रूप से, भारतीय समाज में राज्य और धर्म दोनों का स्थान अलग–अलग रहा है अर्थात् इनके बीच विभाजन रहा है। **कौटिल्य के अर्थशास्त्र** (यह शासन के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक रहा है) में यह कहा गया है कि, एक राजा की खुशी उसकी प्रजा के कल्याण में निहित होती है। हालांकि, इसने **धार्मिक बहुलवाद** के बावजूद भारत में धार्मिक सहिष्णुता पैदा करने में मदद की।
- **पश्चिम से अलग है:** पश्चिम के विपरीत, **भारत में धर्म और विज्ञान या धर्म और नास्तिकता के बीच कोई स्पष्ट विभाजन मौजूद नहीं रहा है।** उदाहरण के लिए– भारतीय दर्शन में रूढ़िवादी आस्तिक स्कूल ऑफ़ थॉट्स के साथ–साथ अपरंपरागत नास्तिक स्कूल ऑफ़ थॉट्स को भी शामिल किया गया है।
- **स्वतंत्रता संघर्ष के समय इसकी अवधारणा और व्यापक हुई:** भारत में एक धर्म के भीतर या एक से अधिक धर्मों के बीच वर्चस्व अभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि, इसने **19वीं शताब्दी** के दौरान भारत में अपने आधुनिक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के उदय में मदद की। **सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों** से शुरू होकर, जल्द ही **यह भारतीय राजनीतिक आंदोलन की एक विशेषता** बन गया, जिसे **उपनिवेशवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ** लोगों की एकजुटता में देखा एवं महसूस किया जा सकता है।

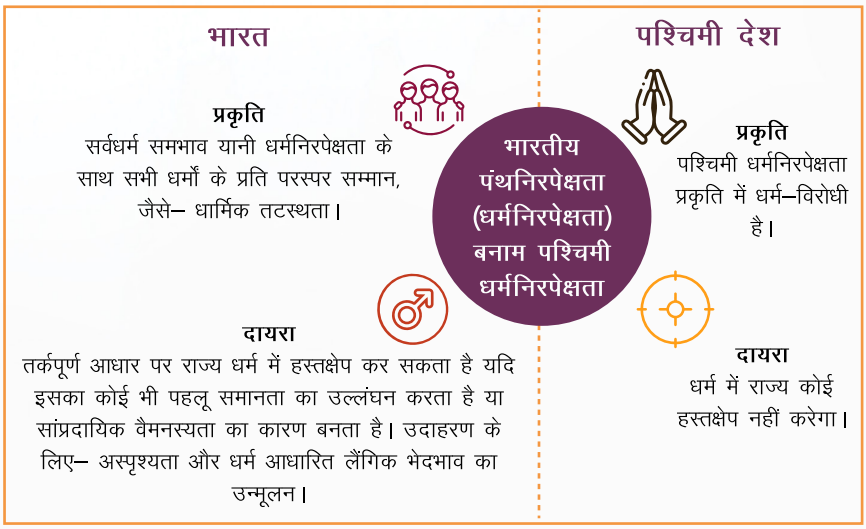

भारत में संवैधानिक लोकाचार के रूप में पंथनिरपेक्षता: प्रकृति, प्रावधान और उद्देश्य

यद्यपि 'पंथनिरपेक्षता' शब्द को स्पष्ट रूप से केवल **1975 के आपातकाल (42वां संविधान संशोधन, 1976)** के दौरान प्रस्तावना में शामिल किया गया था। हालांकि, **पंथनिरपेक्षता** संविधान की शुरुआत से ही इसका **अभिन्न अंग** रही है।

पंथनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, इसके पश्चिमी मॉडल (धर्मनिरपेक्षता) से अलग है। संविधान **भारतीय राज्य** को पंथनिरपेक्ष दृष्टिकोण के पालन का निर्देश देता है। अर्थात् यह राज्य को **'धर्म और राजनीति के बीच सैद्धांतिक दूरी'** बनाए रखने के लिए निर्देशित करता है। हालांकि, भारतीय पंथनिरपेक्षता के पीछे के मूल विचार के संदर्भ में **जवाहरलाल नेहरू** ने कहा था:

> "पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य उस समाज से नहीं है जहां धर्म को हतोत्साहित किया जाता है, इसका आशय धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता से है, जिसमें उन लोगों के लिए भी स्वतंत्रता शामिल है, जिनका कोई धर्म नहीं है।"

सैद्धांतिक दूरी की अवधारणा

यह अवधारणा **राजीव भार्गव** द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य को धार्मिक समूहों से एक संतुलित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार, कोई राज्य पंथनिरपेक्ष तब ही हो सकता है जब वह:

- अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से **धर्म से सैद्धांतिक** दूरी बनाए रखता हो।
- विशिष्ट समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए **धार्मिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप भी** करता हो।
- **हर धर्म को समान वरीयता** देता हो और सभी का समान रूप से सम्मान करता हो। हालांकि, यदि कोई **धार्मिक समूह** राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करता हो, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

भारतीय पंथनिरपेक्षता के तहत, धर्म और राजनीति के बीच **कोई स्पष्ट विभाजन नहीं** किया गया है। हालांकि पंथनिरपेक्षता की अवधारणा के अंतर्गत इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि राज्य **धर्म के मामले में तटस्थ** रहेगा। **उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं** होगा तथा वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। इसके अलावा भारतीय पंथनिरपेक्षता का दृष्टिकोण **किसी भी धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है** और **लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करने पर जोर देता** है। भारतीय पंथनिरपेक्षता के इस स्वरूप के पीछे मुख्य कारण इन्फोग्राफिक में दिए गए हैं।

भारतीय पंथनिरपेक्षता के विशिष्ट होने के पीछे कारण

- सांप्रदायिक विभाजन संबंधी कारक
- भारतीय समाज में धार्मिक बहुलवाद
- भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधारों की आवश्यकता
- अर्थव्यवस्था और राजनीति के आधुनिकीकरण की आवश्यकता
- भारतीय राजनीतिक आंदोलन और गांधीजी जैसे नेतृत्वकर्ताओं का प्रभाव

यह संवैधानिक प्रावधानों से और स्पष्ट हो जाता है जहां भारतीय लोकतंत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों, जैसे– कानून, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, नागरिकों के निजी और सार्वजनिक जीवन आदि में समानता के पहलू को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, उदाहरण के लिए–

- **भारतीय संविधान की प्रस्तावना** अपने सभी नागरिकों के लिए:
  - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की **स्वतंत्रता;** तथा
  - प्रतिष्ठा और अवसर की **समानता** को सुरक्षित करती है।

भारतीय पंथनिरपेक्षता के उद्देश्य

- राज्य को जिम्मेदार बनाकर सभी **नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण** करना।
- लोगों पर **किसी विशेष धर्म को थोपने से राज्य को रोकना।**
- राज्य की ओर से सभी के लिए **समान समर्थन और सुरक्षा सुनिश्चित करके** धार्मिक आधार पर होने वाले दुर्व्यवहार को रोकना।
- एक **धर्म का दूसरे धर्म पर वर्चस्व** या एक ही धर्म के भीतर भेदभाव को रोकना, अर्थात् **सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव रोकना।**
- लोगों और उनके धार्मिक विश्वासों के बीच अलगाव के बजाय **सहिष्णुता विकसित करना।**

- **अनुच्छेद 14** के तहत यह उपबंध किया गया है कि **कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान** माना जाएगा।
- **अनुच्छेद 15** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के **भेदभाव पर रोक लगाता है।**
- **अनुच्छेद 16** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव किए बिना लोक नियोजन के मामलों में **अवसर की समानता** प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 25** से 28 के तहत सभी व्यक्तियों को **धार्मिक स्वतंत्रता** प्रदान की गई है।
- **अनुच्छेद 29** और 30 धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।
- **अनुच्छेद 51** (A) में सभी नागरिकों पर **सद्भाव** और **समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने** तथा हमारी **समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसे संरक्षित** करने का कर्तव्य सौंपा गया है।

एक छोटी सी वार्ता!

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा

विनी: अरे विनय, मैंने सुना है कि तुम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हो?

विनय: हाँ, मैं अभी भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहा हूँ। वैसे, तुम क्यों पूछ रही हो?

विनी: किसी ने मुझे बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) में समय के साथ बदलाव किए गए हैं। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि प्रस्तावना वैसा नहीं है जैसा कि 1950 में अपनाया गया था।

विनय: हाँ, यह सही है! वास्तव में, "पंथनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

विनी: लेकिन, भारत के लिए पंथनिरपेक्षता का क्या मतलब है?

विनय: सरल शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि संविधान धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

विनी: क्या तुम संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की बात कर रहे हो?

विनय: हाँ, संक्षेप में कह सकते हैं। ये दोनों अनुच्छेद भारत में धार्मिक समानता के आधार हैं।

विनी: धन्यवाद विनय! यह अत्यंत ज्ञानवर्धक था।

भारत में पंथनिरपेक्षता का महत्व

पॉल आर. ब्रास के अनुसार, पंथनिरपेक्षता **संतुलन को बनाए रखने वाला एक अभ्यास तथा मूल्यों का एक समूह** है। यह एक बहुलवादी समाज में **संतुलन बनाए रखने** के लिए आवश्यक है विशेषकर वहां, जहां समूहों के बीच हिंसा का अस्तित्व अत्यंत प्रभावशाली, सतत रूप से मौजूद और घातक हो। एक बहु–धार्मिक देश होने के नाते, पंथनिरपेक्षता, भारतीय संविधान की मूल विशेषता (केशवानंद भारती वाद) के रूप में, विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जैसे–

राजनीतिक क्षेत्र

- राज्य शक्ति के दुरुपयोग से बचने या निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए, **पंथनिरपेक्षता राज्य को किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है।**
  - **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता है, तो सत्तारूढ़ दल का धर्म, राज्य का धर्म बन सकता है।
- यह समानता, धार्मिक सहिष्णुता जैसे **लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है।**
- संविधान में निहित बंधुत्व, सौहार्द और व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखने की दिशा में यह **कानूनों और नीतियों को मार्गदर्शन प्रदान** करती है।
  - धार्मिक अधिकारों को मान्यता देते हुए, संविधान उन प्रथाओं को रोकने की अनुमति देता है जो **सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता** के प्रतिकूल हैं।

सामाजिक क्षेत्र	☆ **पंथनिरपेक्षता निम्नलिखित के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में मदद करती है:** ◉ सांप्रदायिक हिंसा या धार्मिक प्रभुत्व जैसे **धार्मिक संघर्ष और कट्टरपंथ को दूर करके।** ◉ पंथनिरपेक्ष गतिविधियों में **धार्मिक अतिक्रमण को प्रतिबंधित कर,** यानी ऐसे मामले जो विशुद्ध रूप से धार्मिक नहीं हैं। ◉ ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए **सकारात्मक भेदभाव के अवसर प्रदान करके,** जैसे– सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण। ☆ यह **नैतिक कल्याण** और भौतिक समृद्धि की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण **व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है और उन्हें बढ़ावा देती है।** ☆ राज्य में समाज के सभी वर्गों के **बीच आपसी भरोसे और विश्वास को बनाए रखने में मदद करती** है। ☆ अलग–अलग धर्मों, संप्रदायों आदि के **बीच पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा** देती है।
आर्थिक क्षेत्र	☆ **यह निम्नलिखित के माध्यम से विकास और संवृद्धि को प्रोत्साहित करती है:** ◉ भारत में **शांति बनाए रख कर।** ◉ **वैश्विक संबंधों की स्थापना** और भारत की सकारात्मक छवि के माध्यम से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके। ☆ यह किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए **सार्वजनिक राजस्व के उपयोग को प्रतिबंधित** करती है। ☆ **राज्य** को धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को **विनियमित करने का अधिकार प्रदान करती है।**

भारतीय पंथनिरपेक्षता से जुड़े नकारात्मक पक्ष

☆ **कोई सार्वभौमिक परिभाषा मौजूद नहीं:** पंथनिरपेक्षता की कोई सार्वभौमिक परिभाषा न होने के कारण यह भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ नेतृत्वकर्ता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रचलित धार्मिक विविधता की अवधारणा को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और साथ ही, अनुचित लाभ लेने की कोशिश करते हैं।

☆ **विचारों का ध्रुवीकरण:** भारतीय पंथनिरपेक्षता **संप्रदाय या सांप्रदायिक राजनीति** को रोकने में अंशतः ही सफल रही है। इससे वैचारिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है।

◉ हालांकि, निर्वाचन संबंधी कानून **एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी (आरोपित पहचान) के उपयोग को रोकने की कोशिश** करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के लिए इसे लागू करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके लिए राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना और उम्मीदवारों पर रोक लगाना आवश्यक होगा।

☆ **कुछ मामलों में धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना:** समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के लिए पंथनिरपेक्षता की आलोचना की जाती है, उदाहरण के लिए–

◉ यह धर्म की स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित तथा **धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में न्यायिक और राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति** प्रदान करती है।

☆ **धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया को कमजोर करना:** पश्चिम के विपरीत, भारत की पंथनिरपेक्षता धर्म और राज्य को पूरी तरह से अलग नहीं करती है। इससे लोगों की पंथनिरपेक्षता प्रभावित होती है, उदाहरण के लिए– राजनीतिक प्रक्रिया में अभी भी धर्म का एक घटक/कारक के रूप में उपयोग होता है।

लोगों का पंथनिरपेक्षीकरण

☆ पंथनिरपेक्षीकरण **सांस्कृतिक बदलाव** को बढ़ावा देने वाली एक कार्यवाही या प्रक्रिया है जो **धीरे–धीरे धार्मिक मूल्यों को गैर–धार्मिक मूल्यों द्वारा प्रतिस्थापित कर देती है।**

☆ लोगों का पंथनिरपेक्षीकरण एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां सामाजिक और राजनीतिक मामलों में **धर्म का सामाजिक महत्व कम** हो जाता है।

☆ पंथनिरपेक्षीकरण को निम्नलिखित प्रक्रियाएं मजबूत बनाती हैं, जैसे–

◉ प्रचलित मिथकों, रहस्यों, चमत्कारों और जादू–टोने के विरुद्ध **वैज्ञानिक व तर्कसंगत दृष्टिकोण के प्रचलन को बढ़ावा देना।**

◉ धर्म के संस्थागत और आस्था संबंधी ढांचे के विरुद्ध महत्वपूर्ण चेतना विकसित करने हेतु **आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना।**

◉ सामाजिक समूहों के स्तर पर **बहुलवाद को बढ़ावा देना।**

आगे की राह

पंथनिरपेक्षता विविधता में एकता का निर्माण और इसका संरक्षण करके राष्ट्र का निर्माण करती है। भारतीय समाज और पंथनिरपेक्षता की अपनी एक अलग विशेषता और प्रकृति है। इसलिए इनको वास्तविक धरातल पर साकार करने के लिए सभी हितधारकों से सकारात्मक प्रयासों के साथ–साथ इन विशेषताओं और प्रकृति के प्रति सम्मान एवं निष्ठा की आवश्यकता है:

- **न्यायपालिका की भूमिका:** संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने पंथनिरपेक्षता को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)। इसके अलावा, न्यायपालिका को सामूहिक के रूप से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाली भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाकर **चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।**
  - पंथनिरपेक्षता को संवैधानिक मापदंडों के दायरे में परिभाषित करके तथा कठोर अनुपालन के लिए जवाबदेही उपायों को अपना कर **राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना।**
  - **ऐसे मूल्यों का प्रसार करना** चाहिए, जो भारतीय राज्य के पंथनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करें और पंथनिरपेक्षता पर संवेदनशीलता/ समझ का विकास करें।
- **कार्यपालिका की भूमिका:** कार्यपालिका अधिनियमित कानूनों/नीतियों के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। अतः इसे निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
  - राज्य और धार्मिक संस्थानों के बीच **पूर्ण अलगाव की स्थिति** को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए।
  - **पंथनिरपेक्षता को राजनीतिकरण के प्रभाव से मुक्त** किया जाना चाहिए, अर्थात् इसके राजनीतिकरण से बचने के लिए नागरिक समाज के क्षेत्र में पंथनिरपेक्षता के अनुसरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - धार्मिक लोगों के साथ–साथ धार्मिक विश्वासों/ आस्थाओं का विरोध करने या उन पर सवाल उठाने वाले लोगों की **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।**
  - अल्पसंख्यकों के महत्व के आधार पर सामाजिक सुधार और विश्वास बहाली के विशेष उपाय किए जाने चाहिए, ताकि **एक धर्म के भीतर और एक से अधिक धर्मों के बीच सद्भाव का निर्माण किया जा सके।**
- **विधायिका की भूमिका:** यह कानून निर्माण करने और कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराने के लिए उत्तरदायी है। अतः इसे निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
  - भारतीय संदर्भ में इसके महत्व और आवश्यक सुधारों की पहचान करने तथा इसकी सफलता के लिए **पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।**
  - **कार्यपालिका को** पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों और उससे जुड़े सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए **उत्तरदायी ठहराना चाहिए।**
- **मीडिया, नागरिक समाज और व्यक्तियों सहित समाज की भूमिका:**
  - **धर्म को एक व्यक्तिगत मामला माना जाना चाहिए** और लिंग, धर्म (बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक), क्षेत्र आदि की परवाह किए बिना कानूनों का पालन करना चाहिए।
  - जिम्मेदारीपूर्वक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग के जरिए **लोकतंत्र को मजबूत करना** चाहिए।

पंथनिरपेक्षता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद (1975)

पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और देश के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन वाद (2017)

इस वाद में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) के तहत उम्मीदवार अथवा मतदाता की आरोपित पहचान के आधार पर वोट मांगने/ वोट करने की अपील को "भ्रष्ट आचरण" माना गया था।

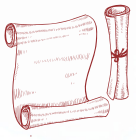

शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (2017)

तलाक–ए–बिद्दत या तीन तलाक की प्रथा को अवैध घोषित किया गया, यह मानते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है तथा यह कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

निष्कर्ष

भारत का **धार्मिक बहुलवाद** इसके **लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पंथनिरपेक्षता** का संवैधानिक लोकाचार मौजूदा **असमानताओं को दूर करके** लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और **समुदायों को अपनी विविधता को बनाए रखने में मदद** करता है। यह एकजुटता या एकता की स्थिति को जन्म देता है जो **सामूहिक होने के साथ–साथ अपना पृथक अस्तित्व भी बनाए रखने देती है अर्थात् यह एक प्रकार से विविधता में एकता को दर्शाती है।** एकरूपता बढ़ाने के साथ–साथ, ये सिद्धांत भारत की अनूठी पहचान के संरक्षण में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। **गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर** के शब्दों में:

"आइए हम एकजुट होते हैं अपने अंतर्विरोधों के विरुद्ध नहीं, अपितु उसके माध्यम से। क्योंकि अंतर्विरोधों को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है और उनके बिना जीवन भी बहुत हीन होगा। सभी मानव जातियों को अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने दें और उन्हें एकजुट करने में सहयोग करें, एक समानता के तहत नहीं जो मृत है, बल्कि एक एकता के तहत जो जीवित हो।"

टॉपिक – एक नज़र में

संवैधानिक लोकाचार II: विविधता में एकता – पंथनिरपेक्षता

- भारतीय समाज एक बहुलतावादी समाज है एवं धर्मों की बहुलता इसकी एक अनूठी विशेषता है।
- इस **विविधता को बनाए रखने और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए,** पंथनिरपेक्षता एक **संतुलनकारी अभ्यास** के रूप में कार्य करती है। साथ ही, यह संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक **मूल्यों के एक समूह** के रूप में भी कार्य करती है।

संवैधानिक लोकाचार के रूप में पंथनिरपेक्षता

- पंथनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल संरचना (या मूल ढांचे) का हिस्सा है।
- यह धर्म और राजनीति के बीच सैद्धांतिक दूरी का पालन करती है, अर्थात् **स्पष्ट अलगाव के बजाय,** राज्य **सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता** सुनिश्चित करने के लिए धर्म की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में **सक्रिय रूप** से शामिल हो जाता है।
- यह राज्य द्वारा लोगों पर किसी धर्म को थोपने के बजाए सभी लोगों की **धार्मिक स्वतंत्रता** की रक्षा करती है।
- यह **धर्म के आधार पर उत्पीड़न** पर रोक लगाती है और **किसी एक या एक से अधिक धर्मों के वर्चस्व को रोकने का काम** करती है।

पंथनिरपेक्षता का महत्व

- यह भारत जैसे बहुलवादी समाज में **लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करती है और उनके बीच संतुलन** बनाए रखती है।
- नागरिकों की **धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा** करती है और **धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक** लगाती है।
- आपसी **सम्मान, सहिष्णुता, विश्वास आदि के मूल्यों** को बढ़ावा देती है।
- भारत के **बहुलवाद और इसकी समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है।**
- **शांति, वैश्विक संपर्कों आदि के माध्यम से संवृद्धि** और विकास को प्रोत्साहित करती है।

भारतीय पंथनिरपेक्षता से संबंधित चिंताएं

- **सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव।**
- सीमित सफलता, जिसके कारण समाज में **वैचारिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा** देखने को मिलती है।
- **लोगों के पंथनिरपेक्षीकरण** की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव।

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक दल आरोपित पहचान के आधार पर **कोई राजनीतिक लाभ न उठा पाएं।**
- **पंथनिरपेक्षता पर बहस को प्रोत्साहित किया जाए** और नागरिकों के **अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूकता** पैदा की जाए।
- **लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए दया, आत्मसातीकरण आदि मूल्यों** को पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तांतरित किया जाए।
- विविधता की रक्षा में **मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका** को समझा जाए।